राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक :– एफ.1(11)(परावि)लेखा/निजी आय/2011–12/ 11186 जयपुर दिनांक 7-11-2012

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद समस्त (राजस्थान) ।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   ज़िला परिषद समस्त (राजस्थान) ।
3. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति समस्त (राजस्थान) ।

विषय :राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अन्तर्गत पंचायतों की आमदनी में बढोतरी करने की अपेक्षा बाबत ।

राज्य वित्त आयोग की राय रही है कि जब तक वित्तीय स्वतन्त्रता नहीं होगी तब तक पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तशासी कैसे माना जा सकेगा ? संसाधन नहीं होने के कारण ही पंचायतें उनको सौंपे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाती हैं। अधिकतर पंचायतों की निजी आय नगण्य है। वे संसाधनों के लिए पूर्णतया राज्य सरकार पर ही निर्भर हैं। वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार पंचायतों को प्रति वर्ष 1.50 से 2.00 लाख रूपए निजी आय बढ़ानी चाहिए।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार 2011–12 से राज्य सरकार गत वर्ष की तुलना में अधिक निजी आय बढाने पर प्रोत्साहन के रूप में बराबर मैचिंग डिस्सा भी देती है। यदि कोई पंचायत पूर्व वर्ष के मुकाबले 2.00 लाख रूपए की निजी आय बढाएंगी, तो पंचायत समिति /जिला परिषद की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार 2.00 लाख रूपए अतिरिक्त निर्बन्ध राशि प्रदान करेगी। यह आदेश विभाग द्वारा दिनांक 30.11.2011 को जारी करने के बावजूद भी किसी पंचायती राज संस्था के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 33 के अनुसार पंचायतें अपने नियमित कृत्य सफाई, रोशनी, जल–निकास, सडकों का अनुरक्षण आदि भी नहीं कर पाती हैं। नियम 34 के अनुसार पंचायतों से स्रोत जुटाने की अपेक्षा की गई है कि वह कर राजस्व जुटाने के साथ–साथ सरपंच पंचायत के वार्ड पंचों के परामर्श से दरों, फीसों, प्रभारों और शास्तियों में वृद्धि करके, हवेलियों और बडे पक्के गृहों पर अभिहित मात्र कर, राष्ट्रीय एवं राज मार्गों पर के ढाबों, होटलों, आटोमोबाईल सर्विस स्टेशनों और मरम्मत की दुकानों, पेट्रोल/ डीजल पम्पों पर कर/फीस उदग्रहीत करके भी गैर राजस्व में वृद्धि करेगा।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कई पंचायतें सड़क के किनारे हैं। सड़क के दोनों ओर दुकानें लगी हैं। दुकान अगर रिहायशी मकान के पट्टे की जमीन पर बना है, तो राजस्थान पंचायती राज नियम 156 (3) अनुसार वाणिज्य दर डी.ए.ल.सी. दर से कम से कम दुगुनी वसूल की जा सकती है। यह भी सम्भव है कि उन दुकानों का पट्टा ही न हो एवं वे अनधिकृत हों। ऐसी परिस्थिति में नियम 165(3) अनुसार बेदखली नोटिस जारी करें। उसके बाद यदि पंचायत यह समझती है कि उस भूमि की नीलामी

सुविधाजनक नहीं हो सकती है तो प्राईवेट बातचीत द्वारा वाणिज्यिक पट्टा डी.एल.सी. की दुगुनी दर पर बनाकर पंचायत की आय बढा सकते हैं। आवन्टन करते समय नियम 161(2) का ध्यान रखें कि:– (क) रेलवे लाईन से 100 फुट (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग की मध्य रेखा से 150 फुट (ग) राज्य राजमार्गों और मुख्य ज़िला सड़कों की मध्य रेखा से 75 फुट और (घ) अन्य ज़िला सड़कों और गांव सड़कों की मध्य रेखा से 50 फुट छोडकर पक्के निर्माण की स्वीकृति देवें। यदि सहमति नहीं हो तो अतिक्रमण हटाया जावे।

पंचायत द्वारा फीसें प्रभारित करने की शक्ति

राजस्थन पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 67 के अनुसार किसी भी सेवा के लिए पंचायत फीसें वसूल कर सकती है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 में पंचायत द्वारा की गई सेवाओं के लिए फीस वसूली में दिनांक 12.8.2012 से संशोधन कर पेट्रोल पम्प, ढाबे, रेस्टारेन्ट अतिथि गृह/होटल/मोटल की दरें संशोधित की जा चुकी हैं। मोबाईल टॉवर पर तो प्रति वर्ष रूपए 10,000/– वसूल करने होंगे। जनजाति क्षेत्र में खनिज लीज/लाइसेंस के अनापत्ति प्रमाणपत्र के रूपए 5,000/– वसूल किए जा सकते हैं।

फीसों की दरें (नियम 68)

जनता के प्रति की गई सेवा	अधिकतम दर (रूपये)
1. आवेदन फीस	10/–
2. निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र	20/–(अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 5/–)
3. नामांतरण हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र	40/–(अ.जा./अ.ज.जा. हेतु 5/–)
4. बिजली/पानी कनेक्शन हेतु अनापत्ति	40/–(अ.जा./अ.ज.जा. 5/–)
5. आबादी भूमि क्रय हेतु आवेदन	20/–
6. पंचों द्वारा मौका निरीक्षण फीस	50/–
7. राशन कार्ड	10/–
8. जन्म मृत्यु पंजीकरण (30 दिन बाद)	20/–
9. भवन निर्माण स्वीकृति(पक्का निर्माण)	2/– रूपये प्रति वर्ग मीटर
10. नक्शा संशोधित स्वीकृति	100/–
11. बिना नक्शा स्वीकृति निर्माण नियमन	10/– रूपये प्रति वर्ग मीटर
12. पेट्रोल/डीजल पम्प	2500/– रूपये प्रति वर्ष
13. ढाबा/रेस्टोरेन्ट	1000/– रूपये प्रति वर्ष
14. कोई अन्य कारबार इकाई	200/– रूपये प्रति वर्ष
15. खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए संकल्प (जनजाति क्षेत्र मे)	5000/– रूपये
16. मोबाईल टॉवर	10000/– रूपये प्रति वर्ष
17. अतिथि गृह/होटल/मोटल/ विश्राम गृह के लिए फीस–	
(क) 5 कमरों तक	1000/– रूपये प्रति वर्ष
(ख) 6 से 10 कमरों तक	2500/– रूपये प्रति वर्ष
(ग) 11 से 15 कमरों तक	4000/– रूपये प्रति वर्ष
(घ) 16 और अधिक कमरे	5000/– रूपये प्रति वर्ष

इससे व्यवसायियों पर अधिक भार भी नहीं पड़ेगा। अतः तुरन्त आय बढ़ा कर पंचायतें राज्य सरकार से प्रात्साहन राशि प्राप्त करें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि आगामी 6 माह की अवधि में नियम 68 में उल्लेखित दरों से वसूली करना सुनिश्चित करावें। प्रक्रिया नीचे दी जा रही है ।

पंचायत द्वारा फीस/कर लागू करने की प्रक्रिया

- संकल्प : पंचायत की साधारण बैठक में नियम 57 अनुसार फीसें निर्धारित दरों पर वसूल करने का प्रस्ताव पारित करें कि अमुक दिनांक से निम्न प्रकार फीसें लगाने का निर्णय किया गया है। सभी व्यक्ति सूचित हों।
- आक्षेप आमंत्रण नोटिस : नियम 58 अनुसार ऐसी फीसें लगाने के संबंध में एक माह का नोटिस जारी कर ऐतराज मांगे जावें। एक प्रति पंचायत एवं पंचायत समिति तथा जिला परिषद के नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु भेजी जायेगी। प्रति सूचना के लिये तहसीलदार को भेजी जायेगी। प्रचार के लिये किसी अखबार वाले को भी प्रेस नोट दे सकते हैं यद्यपि अनिवार्य नहीं है।

  सूचना का सार गांव के 2–3 मुख्य स्थानों पर भी प्रदर्शित करावें।
- आक्षेपों पर विचार : नियम 59 अनुसार एक माह बाद की किसी भी तारीख को पंचायत साधारण सभा में प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर निर्णय लेगी। नियम 60 के तहत ऐतराज खारिज भी कर सकते हैं।
- धारा 60 के परन्तुक अनुसार फीस वसूले जाने के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी भी आवश्यक नहीं है।
- नियम 105 अनुसार पंचायत को देय फीस, उसकी प्रकृति, व्यक्ति का नाम व कालावधि प्रपत्र 5 में मांग पर्ची तैयार की जावेगी।
- नियम 106 अनुसार राशि जमा न होने पर 15 दिन का नोटिस देवे कि जमा न कराने पर चल सम्पत्ति से वसूली की जावेगी।
- 15 दिन में राशि जमा न होने बाद नियम 107 अनुसार सरपंच कुर्की और विक्रय के लिए वारण्ट जारी कर वसूली करवा सकेगा।
- यदि सम्पत्ति पंचायत के क्षेत्र से बाहर स्थित है तो वहां के सरपंच को और यदि वहां पंचायत नहीं है तो तहसीलदार को तामील कराने के लिए भेज सकेंगे।

राजस्व विभाग द्वारा फीस वसूली की प्रक्रिया

- तहसीलदार नियम 63(2) के प्रावधानानुसार नियम 62 के अधीन संकल्प की प्राप्ति के पश्चात् संबंधित पटवारी के माध्यम से मौंग को तैयार करवायेगा।
- पटवारी निर्धारणों की गणना की सूचना विकास अधिकारी और पंचायत को देगा जो ऐसी गणना और मौंग की तैयारी में सहायता करने के लिए पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचों और सचिव को सहयोजित कर सकेंगे।
- मौंग पटवारी द्वारा प्ररूप 4 में तैयार की जायेगी।
- तहसीलदार, पटवारी द्वारा करों की मौंग, निर्धारण तैयार कर लिये जाने के पश्चात्, अनुमोदन करेगा और एक प्रति संबंधित पटवारी को अग्रेषित करेगा।
- पटवारी अनुमोदित मौंग अनुसार मौंग पर्चियां संबंधित निर्धारिती को प्ररूप 5 में जारी करेगा।
- नियम 64 के अनुसार निर्धारित कर, अप्रेल मास में पटवारी द्वारा जारी की जाने वाली मौंग पर्चियों के अनुसार संगृहीत किये जायेंगे,
- कर की रकम मई मास में वार्षिक किस्त के रूप में जमा की जायेगी।
- विलंबित संदाय के लिए व्याज जून की पहली तारीख से 12 प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जायेगा।
- पंचायत द्वारा कर की अपीले उप–खण्ड अधिकारी को और पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर की अपील कलेक्टर को और जिला परिषद् द्वारा लगाए गए कर की अपील खण्ड आयुक्त को धारा 71 अनुसार होगी।

- धारा 67 अनुसार करों की वसूली, पटवारी द्वारा की जावेगी । पटवारी 5 प्रतिशत काटकर 95 प्रतिशत पंचायत समिति के पी.डी. लेखे में या पंचायत लेखे में जमा करेगा।
- धारा 70 अनुसार पंचायती राज की समस्त बकाया कर, फीस, शुल्क भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पंचायतों से नियमानुसार प्रस्ताव पारित करवा कर राज्य सरकार द्वारा लागू की गई फीसें वसूली करवाकर पंचायतों की निजी आय बढवाकर मैचिंग राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करावें ।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः-

1.निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2.निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3.प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपर्युक्तानुसार राजस्व विभाग द्वारा अपेक्षित प्रकिया संपादित किये जाने हेतु समस्त तहसीलदारों एवं पटवारियों को निर्देशित करवा कर, जारी किये गए आदेश की प्रति इस विभाग को भी भिजवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करावें ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्ररूप संख्या 4
(देखिये नियम 63)
.....को समाप्त अवधि के लिए कर की मांग का निर्धारण

पंचायत का नाम ..... पंचायत समिति .....जिला .....

कर का नाम..... कर की दर.....

ग्राम का नाम	करदाता का नाम तथा उसके पिता का नाम, व्यवसाय एवं पता	बकायाएं	चालू मांग	योग	अभ्युक्ति

तारीख.....

पटवारी/सचिव के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 5
(देखिये नियम 64 व 105)
मांग पर्ची

पुस्तक संख्या..... क्रम संख्या.....

ग्राम.....पंचायत ..... पंचायत समिति .....जिला .....

वर्ष.....के लिए

प्रति पड़त

तारीख	कर देने वाले का नाम पिता का नाम, व्यवसाय एवं पता	कर का नाम	मांग			अभ्युक्ति
			बकायाएं	चालू मांग	योग	

पटवारी के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 13
(देखिये नियम 106)
मांग सूचना का प्रपत्र

पंचायत ..... पंचायत समिति .....जिला परिषद .....
मामल संख्या ..... वर्ष .....

सेवा में

.....

.....

विवरण

.....

.....

उक्त मामले में ..... रूपये की राशि आप पर बकाया है तथा दिनांक ..... को मांग पर्ची देने के बाद भी, आपने बकाया देय राशि को जमा नहीं कराया है, अतः आपके पन्द्रह दिनों में उक्त राशि जमा कराने के लिए आदेश दिए जाते हैं, ऐसा न करने पर आपकी चल सम्पत्ति को अभिरक्षा (कस्टडी) में ले लिया जाएगा तथा देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाई की जायेगी।

आज दिनांक .....माह .....सन् 20 ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर साहित जारी किया गया।

सरपंच के हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 14
(देखिये नियम 107)
कुर्की एवं विक्रय का वारन्ट

पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला परिषद .....
केस संख्या ..... वर्ष .....

विवरण

.....

.....

सेवा में,

.....

.....

उक्त मामले में ..... रूपये की राशि श्री ..... पुत्र ..... निवासी .....
द्वारा देय है तथा उसे मांग सूचना एवं मांग पर्ची जारी करने के बावजूद तथा 15 दिन की समयावधि बीत जाने पर भी अदा नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 65 की उप–धारा (2) के अधीन नियम 107 के अनुसरण में, आपको एतद्द्वारा ..... की चल सम्पत्ति को, कानून द्वारा छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़ कर, कुर्की के अन्तर्गत लेने तथा पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने/कानून के अनुसार उक्त चल सम्पत्ति को कुर्क करने व बेचने तथा विक्रय से प्राप्त आगम को पंचायत में जमा कराने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष 20 ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित जारी किया गया।

सरपंच के हस्ताक्षर